A7

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 49 / अपील / 2023
(GCMS No. 2023 / 184)

तारीख दायरा
16.08.2023

तारीख निर्णय
04.03.2024

1. बाबूलाल आ. बिशना जाति मीना,
   निवासी देलून्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. जगदीश आ. बिशना जाति मीना, निवासी देलून्दा, तहसील तालेडा
   (मृतक जरिए कायम मुकामान)–
   2 / 1 रामराज आ.जगदीश जाति मीना निवासी देलून्दा तह.तालेडा
   2 / 2 सत्यनारायण आ.जगदीश जाति मीना नि. देलून्दा तह.तालेडा
   2 / 3 ब्रहमानन्द आ.जगदीश जाति मीना निवासी देलून्दा तह.तालेडा

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती बद्री बाई पुत्री बिशना पत्नी देवराज जाति मीणा
   निवासी ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. श्रीमती रमेशी बाई पुत्री बिशना पत्नी रमेश जाति मीणा नि.चितावा
   हाल निवासी ग्राम देलून्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री सुनील गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 920 दिनांक 14.12.2004 ग्राम देलून्दा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरण खातेदार विसना मीणा एवं उसके पुत्र जगदीश के फोत हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 49/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/184 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो. सं.1 द्वारा अपने जवाब में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। वकील रेस्पो.सं. 2 द्वारा दिनांक 30.01.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर उक्त अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 5 खारिज कर मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खतोनी जमाबंदी संख्या 244 संवत 2076 की आराजी खसरा नंबर 1423 रकबा 1.2221 हैक्टेयर, खसरा सं.493 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, ख.सं.649 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं.650 रकबा 0.1781 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.9829 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 243 की खसरा सं. 965 रकबा 5.3499 हैक्टेयर वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार अपीलांट सं.1, रेस्पो.सं. 1 व 2 के पिता एवं अपीलांट सं. 2/1 लगायत 2/3 के दादा स्वर्गीय बिशना वल्द शंकर जाति मीणा थे जिनकी मृत्यु दिनांक 20.09.2004 को हो गई है। बिशना जी के एक पुत्र जगदीश की भी मृत्यु हो चुकी है। मूल पुरूष बिशना जी की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण सं. 920 खोला गया। मृतक बिशना जी जाति से मीना थे जो अनुसूचित जन जाति में आते है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार नये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से मीना जाति शासित नहीं होती है बल्कि ओल्ड हिन्दू विधि से मीना जाति के उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते है, जिसकी धारा 43 के तहत पैत्रिक कृषि भूमि में पिता की मृत्यु के बाद यदि पुरूष संतान मौजूद हो तो पुत्रियों या बेवा को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है, जब तक केन्द्र सरकार नया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं कर देती है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 920 दिनांक 14.12.2004 विधि विरूद्ध तरीके से खोला

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

जाकर पुत्र बाबूलाल के होते हुये भी पुत्रियों बद्रीबाई एवं रमेशीबाई का नाम बिशना जी की जमीन पर दर्ज कर दिया गया है, जो निरस्त किया जावे। अपीलांट को सुने बिना उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत दर्ज किया गया, जिससे अपीलांट के सुनवाई के अधिकारों का हनन हुआ है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 14.12.2004 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांटस को हल्का पटवारी से दिनांक 01.8.2023 को प्राप्त हुई। नामान्तरकरण की नकल दिनांक 04.8.2023 को प्राप्त होते ही यह अपील पेश की गई है, जो अवधि मध्य मानी जावे। यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। वैसे अपीलाधीन नामान्तरकरण स्थापित विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं बिना पक्षकारान की सुनवाई के तस्दीक किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है तथा प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभावहीन आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, अपितु ऐसे आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, आरआरडी 2006 पेज 464, आरआरडी 2006 पेज 577, आरआरडी 1997 पेज 184, आरआरडी 2002 पेज 30, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1997 पेज 606 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट सं.1 व अपीलांट सं.2/1 लगायत 2/3 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार बिशना आ. शंकर जाति मीणा थे जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार नये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 से मीणा जाति शासित नहीं होती है बल्कि ऑल्ड हिन्दू विधि से मीणा जाति के उत्तराधिकार तय किये जाते है। इस कारण पैतृक कृषि भूमि में पिता की मृत्यु के बाद पुरूष संतान की मौजूदगी में पुत्रियों एवं बेवा का कोई हक व अधिकार नहीं होता है, जब तक कि केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 लागू नहीं कर देती है। आज दिनांक तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, इस कारण खातेदार बिशना जी की मृत्यु के बाद रेस्पो.सं.1 व 2 पुत्रियों के पक्ष में खोला गया फोती नामान्तकरण विधि विरूद्ध है, इसलिए रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपना नाम विलोपित करवा लिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जाने में रेस्पो.सं.1 को कोई आपत्ति नही है।

न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (राज.) सत्यमेव जयते

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी होने के बावजूद यह अपील 18 वर्ष की देरी से पेश की गई है, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं किया गया, ऐसे में विलम्ब से पेश इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि इस मामले में जो नामान्तकरण खोला गया है वह विरासत के आधार पर मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक बिशना, उसके पुत्र जगदीश के फोत हो जाने पर उनके विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 14.12.2004 की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 11.08.23 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम देलून्दा में विस्थित आराजी किता 5 कुल रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार विसना वल्द शंकर कौम मीणा की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार विसना के फोत हो जाने पर उसका एवं पुत्र स्वर्गीय जगदीश का विरासत का नामान्तरकरण उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदारान मीणा जाति के होने पर भी उनके विरासत नामान्तरकरण में पुत्रियों का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि रेस्पो.सं. 2 द्वारा विरासत का नामान्तकरण मृतक खातेदारान के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने से विधिसम्मत होना मानते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A5

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह विदित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। अपील में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं किया जाना पाये जाने से अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाना है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में महिलाओं को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदार विसना मीणा एवं उसके पुत्र जगदीश का विरासत का नामान्तरकरण पुत्र के साथ ही पुत्रियों के पक्ष में भी तस्दीक किया गया, अपीलाधीन नामान्तरकरण 2014(3) DNJ (Raj.) पेज 1050 एवं RLW 2006(2) पेज 695 पर उद्धहरण न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 920 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी